न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर) शिवगंज जिला सिरोही

पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र R.A.S

प्रार्थीगण		अप्रार्थी
1.पेपीदेवी पत्नी चुन्नीलाल 2.प्रकाश पुत्र चुन्नीलाल 3.भरतकुमार पुत्र चुन्नीलाल 4.भीमाराम पुत्र चुन्नीलाल 5.श्रवण पुत्र चुन्नीलाल जातियान सरगडा निवासीयान अरठवाडा तह0 शिवगंज जिला सिरोही	बनाम	राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री मो0 आसिफ

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

रा. प्रार्थना पत्र संख्या 30/2024

–:आदेश:– **दिनांक 14.01.2025**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि यह है कि मौजा अरठवाडा, पटवार हल्का अरठवाडा, भू. अभि. नि. क्षैत्र उथमण, तहसील शिवगंज, मे प्रार्थीगण के सयुंक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी के खसरा नं0 553 रकबा 0.2833 हैक्टयर भूमि आई हुई स्थित है। प्रार्थना पत्र के पद सं. 1 मे वर्णित कृषि आराजी प्रार्थीगण के नाम से संयुक्त रुप से राजस्व रैकर्ड मे दर्ज है। इस खसरा की कुल भूमि 1 बीघा 15 बिस्वा समीया पुत्र पनीया जाति वागरी के नाम से दर्ज थी, जिसमें से प्रार्थी संख्या 01 के पति एंव प्रार्थी संख्या 02 ता 05 के पिता स्व. चुन्नीलाल पुत्र सांकलाजी ने समीया पुत्र पनीया जाति वागरी निवासी अरठवाडा से 01 बीघा 08 बीस्वा जरिये रजिस्ट्री खरीद की थी तथा शेष 07 बीस्वा भूमि का समीया पुत्र पनीया द्वारा दिनांक 6/1992 आदेश क्रमांक 12/26 द्वारा कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि का रुपान्तरण करवाया था। जिसका राजस्व रैकर्ड मे अमल दरामद नहीं किया गया था तथा प्रार्थी संख्या 01 एंव प्रार्थी संख्या 02 ता 05 के पिता चुन्नीलाल द्वारा समीया पुत्र पनीया जाति वागरी से खरीद की हुई भूमि 01 बीघा 08 बीस्वा का रजिस्ट्री दस्तावेज वास्ते नामान्तकरण पेश किया गया था, उस समय लिपिकीय भूल से सहवन सम्पूर्ण खाता का नामान्तकरण प्रार्थी संख्या 01 के पति एंव प्रार्थी संख्या 02 ता 05 के पिता चुन्नीलाल पुत्र सांकलाजी जाति सरगडा नाम से गलत रुप से राजस्व रैकर्ड मे अंकित व दर्ज कर दिया गया, जबकि प्रार्थी संख्या 01 के पति एंव प्रार्थी संख्या 02 ता 05 के पिता चुन्नीलाल पुत्र सांकलाजी जाति सरगडा ने 01 बीघा 08 बिस्वा भूमि ही खरीद की थी और तथ्य की पुष्टि तहसीलदार, शिवगंज के कार्यालय से जारी 07 बीस्वा भूमि का कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ जारी संपरिवर्तन आदेश एंव प्रार्थी संख्या 01 के पति एंव प्रार्थी संख्या 02 ता 05 के पिता चुन्नीलाल पुत्र सांकलाजी जाति सरगडा द्वारा खरीद की गई 01 बीघा 08 बिस्वा भूमि की उप पंजियक कार्यालय शिवगंज द्वारा जारी रजिस्ट्री दस्तावेज से होती है। प्रार्थी संख्या 01 के पति एंव प्रार्थी संख्या 02 ता 05 के पिता के स्वर्गवास के पश्चात राजस्व रैकर्ड मे स्व. चुन्नीलाल पुत्र सांकलाजी सरगडा के वारिसान के रुप मे प्रार्थीगण के नाम पर नामान्तकरण किया गया । मौजा अरठवाडा के खसरा संख्या 553 मे से 0.0575 हैक्टर रास्ता हेतु राज हक मे समर्पण हुई जिसका खसरा संख्या 1131/553 तथा उक्त भूमि का वर्तमान खसरा संख्या 1132/553 रकबा 0.2258 हैक्टर है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में वर्णित कृषि आराजी पर बतौर [illegible] काबिज कास्त है परन्तु राजस्व अधिकारीयो व कर्मचारियों ने त्रुटि से राजस्व [illegible] मे सम्पूर्ण खाता में से 01 बीघा 08 बिस्वा प्रार्थीगण के नाम एवं 07 बिस्वा [illegible] के नाम से आबादी में दर्ज नही कर सम्पूर्ण 01 बीघा 15 बिस्वा [illegible] दर्ज कर दिया है। [illegible] राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रैकर्ड मे गलत अंकित भूमि/रकबा को शुद्धि करवाने [illegible] अधिकारी है जिससे प्रार्थीगण का यह प्रार्थना वास्ते दुरस्ती हेतु पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.14 15:38:55 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज–2

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से पुनः स्पष्ट रिपोर्ट चाही गई। जिस पर तहसीलदार शिवगंज ने उनके पत्र क्रमांक 15 दिनांक 03.01.2025 के द्वारा जांच रिपोर्ट पेश की, जिसमें अवगत कराया कि मूल खातेदार समीया पुत्र पनीया द्वारा कुल 01–15–00 बीघा (0.2832 हैक्टयर) कृषि भूमि में से समीया द्वारा रकबा 00–07–08 बीघा (0.0600 हैक्टयर) का अकृषि संपरिवर्तन करवाया गया। जिसका अमल दरामद नहीं हुआ इस कारण मूल खातेदार समीया पुत्र पनीया के खाते में कुल 01–15–00 बीघा (0.2832 हैक्टयर) कृषि भूमि दर्ज रही। संपरिवर्तन करवाये जाने के उपरांत मूल खातेदार के हिस्से में कुल 01–07–12 बीघा (0.2233 हैक्टयर) कृषि भूमि शेष रहनी चाहिए थी। जबकि विक्रेता द्वारा 01–08–00 बीघा का बैचान किया गया जबकि विक्रेता को 01–07–12 बीघा कृषि भूमि का ही बैचान करने में सक्षम था। साथ ही उक्त बैचान दस्तावेज के आधार पर नामांतरकरण सं0 1323/02.09.1998 क्रेता के पक्ष में 01–08–00 बीघा का नामांतरकरण दर्ज करने के स्थान पर सहवन से 01–15–00 बीघा भूमि का नामांतरकरण दर्ज किया गया जो त्रुटिपूर्ण दर्ज हुआ है। वर्तमान खातेदारान द्वारा रास्ते हेतु 575 वर्गमीटर (00–07–03 बीघा) भूमि का समर्पण किया गया। समर्पण के पश्चात खातेदारों के हिस्से में 01–00–09 बीघा (0.1658 हैक्टयर) भूमि दर्ज होना तथा उपरोक्तानुसार संपरिवर्तनों के अनुरूप तरमीम शुद्ध किये जाने को उचित बताया है। साथ ही दिनांक 10.01.2025 को प्रार्थी अधिवक्ता ने तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत जवाब पर बहस की जिसे सुना गया प्रार्थी अधिवक्ता ने तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट पर अपनी सहमति दी गई।

हमनें पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों, तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट का अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनने से दस्तावेजी साक्ष्य व तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अतः मौजा अरठवाडा, पटवार हल्का अरठवाडा, भू. अभि. नि. क्षैत्र उथमण, तहसील शिवगंज के खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी के खसरा नं0 553 रकबा 0.2832 हैक्टयर भूमि के मूल खातेदार समीया पुत्र पनीया जाति वागरी के नाम 01 बीघा 15 बिस्वा (अर्थात 0.2832 हैक्टयर) कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। जिसमें से तहसीलदार शिवगंज द्वारा संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 12/26 दिनांक 06–92 को समीया पुत्र पनीया जाति वागरी के नाम रकबा 07 बिस्वा 08 बिस्वांसी (0.0600 हैक्टयर) कृषि भूमि का अकृषि (आवासीय) प्रयोजनार्थ किया गया। जिसका आवासीय संपरिवर्तन के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि का नामांतरकरण दर्ज नहीं करने से मूल खातेदार समीया पुत्र पनीया जाति वागरी के नाम 01 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज रही। जिससे समीया वागरी द्वारा बैचान दस्तावेज के आधार पर भूमि 1 बीघा 15 बिस्वा में से 01 बीघा 8 बिस्वा का प्रार्थीगण सं. 01 के पति एवं प्रार्थीगण सं0 02 ता 05 के पिता स्व. चुन्नीलाल पुत्र सांकला जी सरगडा के पक्ष में बैचान किया गया। जिसका पटवारी हल्का अरठवाडा द्वारा नामांतरकरण सं0 1323/02.09.1998 के जरिये प्रार्थीगण सं. 01 के पति एवं प्रार्थीगण सं0 02 ता 05 के पिता स्व. चुन्नीलाल पुत्र सांकला जी सरगडा के पक्ष में 01–07–12 बीघा का नामांतरकरण दर्ज करने के स्थान पर सहवन से 01–15–00 बीघा भूमि का नामांतरकरण दर्ज किया गया, जो त्रुटिपूर्ण दर्ज हुआ है। जिसका संशोधन किया जाना उचित होने से उक्त खातेदारी भूमि 01 बीघा 15 बिस्वा में से सबसे पहले आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि रकबा 07 बिस्वा 08 बिस्वांसी का आवासीय प्रयोजनार्थ राजस्व रेकर्ड में समीया पुत्र पनीया जाति वागरी के नाम से अमल दरामद किया जाकर, (राजहक में समर्पित भूमि रकबा 07 बिस्वा 3 बिस्वांसी को छोडकर) शेष कृषि भूमि रकबा 01 बीघा 09 बिस्वांसी (अर्थात 0.1658 हैक्टयर) कृषि भूमि का प्रार्थीगण सं0 1 ता 5 के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिवगंज तदअनुसार पालना करें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.14 15:58:55 IST
Reason: SelfAttested

(नीरज मिश्र, R.A.S)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

क्रमांकः–कोर्ट / 2025 /
दिनांक 14–01–2025

प्रतिलिपि पालनार्थः–
तहसीलदार शिवगंज ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज